रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277787
CG-DL-E-07112026-277787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5814] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5814] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

का.आ. 6046(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4150(E) तारीख 27/07/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में NH347-B के कि.मी. 99.38 से कि.मी.107.762 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 09/08/2026 को “फ्री प्रेस” 09/08/2026 को “नईदुनिया” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत आपत्ति प्राप्त नही हुई है.

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में NH347-B के कि.मी. 99.38 से कि.मी.107.762 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			**जिले का नाम: बड़वानी**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: राजपुर					
गांव का नाम: निहाली (जुलवानिया)					
1	103/12	निजी	कृषि /सिंचित	0.3636	अमर सिंह पिता छगन
2	103/13	निजी	कृषि/ सिंचित	0.664	सुनीता पति रूप सिंह
3	103/14	निजी	कृषि/ सिंचित	0.665	अनिल पिता रूप सिंह
			Total	**1.6926**	

[फा. सं. NH-347B/Khargone_Julwaniya/3(a)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

S.O. 6046(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4150(E) Dated:27/07/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH347-B in the stretch of land from Km. 99.38 to Km. 107.762 in the district of BARWANI in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in Free Press and Nai Duniya dated 09.08.2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received No objections under Section 3-C.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH347-B in the stretch of land from Km. 99.38 to Km. 107.762 in the district of BARWANI in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			**District: BARWANI**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Rajpur					
Village: Nihali (Julwaniya)					
1	103/12	Private	"Agriculture / Irrigated"	0.3636	Amar Singh Pita Chhagan
2	103/13	Private	"Agriculture / Irrigated"	0.664	Sunita Pati Roop Singh
3	103/14	Private	"Agriculture / Irrigated"	0.665	Anil Pita Roop Singh
			Total	**1.6926**	

[F. No. NH-347B/Khargone_Julwaniya/3(a)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.07 14:41:00 +05'30'